जननी सुरक्षा योजना

मातृत्व सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना लागू की गई है। शासन द्वारा देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे का गहराई से विश्लेषण कर इस बहु आयामी योजना को साकार रूप दिया गया है। जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का ध्यान रखा गया है साथ ही परिवार में संस्थागत प्रसव के लिए स्वप्रेरणा की भावना को मूल आधार बनाया गया है। जननी सुरक्षा योजना मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए एक नवाचार है जो सुरक्षित प्रसव के लिये नींव का पत्थर सिद्ध हो रही है। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ देने के उद्देश्य से जाति एवं गरीबी रेखा का बंधन भी सरकार द्वारा हटा दिया गया है। इसके पीछे शासन की मंशा सिर्फ इतनी है कि जनसामान्य को परंपरागत सोच से उबार कर उनके बीच स्वास्थ्य सेवाओ को सुलभ बनाया जाये । जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत संस्थागत प्रसव अपनाने पर हितग्राही को ग्रामीण क्षेत्र में 1400/— रू. एवं शहरी क्षेत्र में 1000/— रू. प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक का भी निर्धारण शासन द्वारा किया गया जिसके अंतर्गत हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं प्रशिक्षित दाई को रखा गया है। प्रेरक हेतु प्रेरक राशि ग्रामीण क्षेत्र में 600/— रू. एवं शहरी क्षेत्र 200/— रू. की पात्रता । जननी सुरक्षा योजना लागू होने के उपरांत से ही सार्थक परिणाम नजर आने लगे थे। और उनका बृहत रूप वर्तमान वर्ष में देखने को मिला है। आर्थिक विसगंतियों को दरकिनार करते हुये जनसामान्य संस्थागत प्रसव के लिए सामने आ रहे है जिससे निजि क्षेत्र द्वारा आर्थिक शोषण में कमी आई है। घर पर गंदे और प्रदूषित माहौल में अप्रशिक्षित दाईयों की मदद से बच्चा जनने के दौरान कई महिलाओं की मौत हो जाती थी, जिसमें अब गिरावट आ रही है। दूसरी योजनाओं से यह योजना इसलिए अलग क्योंकि इसमें नगद लाभ दिये जाने के मामले में कोई लालफीताशाही नहीं है।स्वाथ्य सेवाओं की उत्कृष्तता प्रमाणित करते हुये स्वास्थ्य विभाग ने अपनी एक विश्वसनीय छवि का निर्माण किया है। स्वास्थ्य सुविधाऐं शहरी दायरे से बाहर जाकर गांव—गांव तक पहुंच रही है और इसका लाभ ग्रामीण और आदिवासियों तक सुलभता से पहुंच रहा है। वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए व्यवसायिक अमला सतत निगरानी

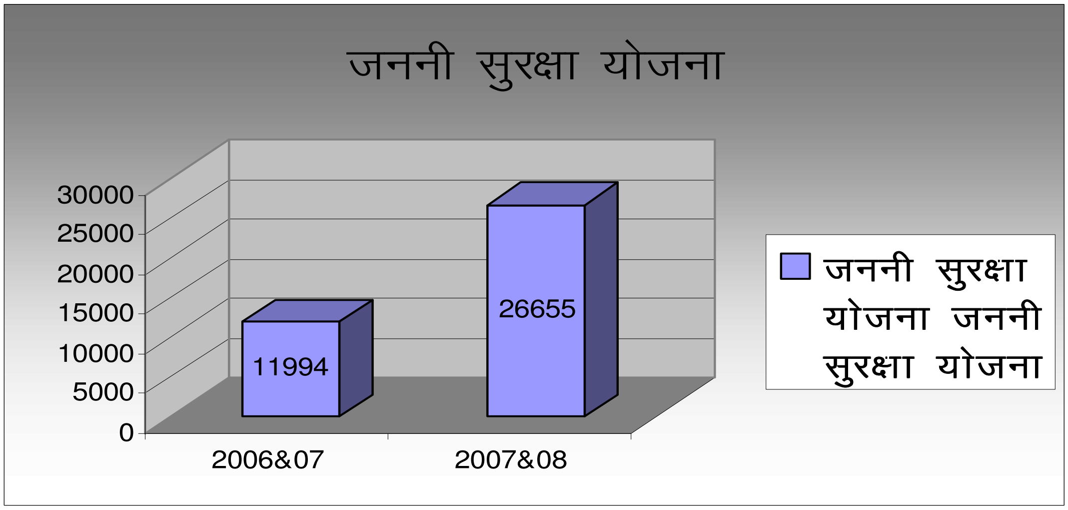

रखे हुये है। जिससे योजना के कियान्वयन में पारदर्शिता लाई गई है।

दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना

अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ कराने की नियति से शासन ने इस योजना को आकार दिया है। जैसा कि नाम से विदित है ''अंत्योदय उपचार'' इसका सीधा संबंध समाज का वो वर्ग जो पीढ़ियों से सुविधाओं के अभाव में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है और स्वास्थ्य सुविधाऐं उत्तरोत्तर मंहगी होती जा रही है अभाव की इस खाई को भरने के उदेदश्य से शासन द्वारा योजना लागू की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे उन्हें एक वित्तीय वर्ष में उपचार हेतु **20,000/—** रू. तक की राशि बतौर दवाईयां एवं अस्पताल के विभिन्न व्ययो को वहन किया जाता है।

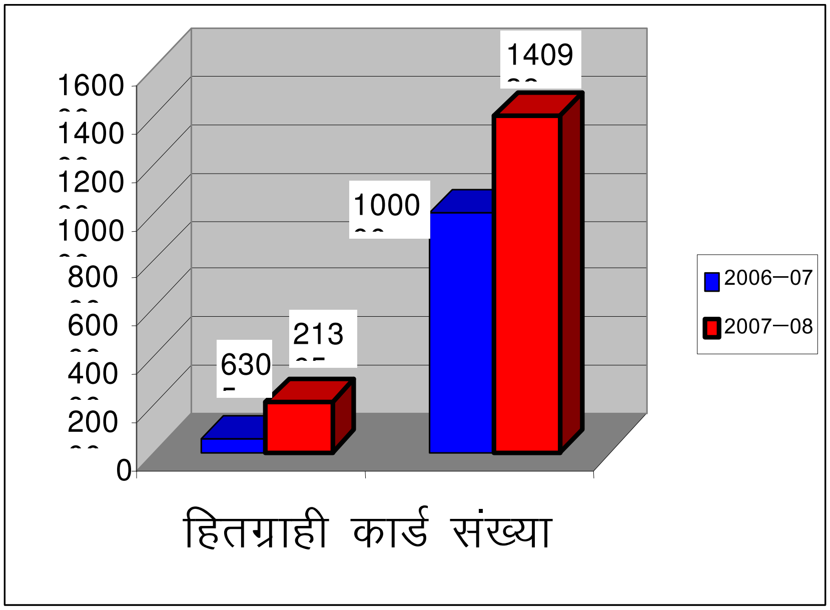

बाल शक्ति योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अपने उद्देश्य ग्राम स्तर तक तक सुलभ हो और समाज के हर छोटे एवं बडे व्यक्ति तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचे इस तारतम्य में कुपोषित बच्चों के पुर्नवास हेतु बाल शक्ति योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत गंभीर कुपोषित बच्चों का शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराने पर निःशुल्क जांच एवं उपचार किया जाता है । चिकित्सालय में भर्ती होने वाले बच्चे को पोश्टिक आहार की विशेष खुराक दी जाती है। आने जाने हेतु परिवहन भत्ता एवं भर्ती दिवस के दौरान दैनिक भत्ता दिये जाने का प्रावधान है।

छिन्दवाडा जिले में तीन पोषण पुर्नवास केन्द्र क्रमशः अमरवाडा, चांदामेटा एवं जिला अस्पताल छिन्दवाडा में संचालित किये जा रहे है । बाल संजीवनी अभियान के अन्तर्गत आयोजित कैम्पों में कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर आगनवाडी कार्यर्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है । इअ दौरान कुपोषित बच्चें की माता को पोषक आहार की उपलब्धता एवं रख–रखाव हेतू प्रशिक्षण दिया जाता है।

छिन्दवाडा लिले में पोषण पुर्नवास केन्द्र के माध्यम से अब तक 266 बच्चे लाभन्वित हो चुके है ।

जिला राज्य बीमारी सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत म.प्र. के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के रोगियों को गंभीर चिन्हित बीमारियों के विशेष इलाज हेतु म.प्र. एवं अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार एवं जांच हेतु रू 25000/– से 75,000/– रू तक की राशि का भुगतान राज्य स्तरीय समिति द्वारा संबंधित चिकित्सलाय को किया जाता है । छिन्दवाडा जिले में 9 जून 2006 से 30 जून 2008 तक कुल 54 हितग्राही लाभन्वित कर रू 29,14,648 /– की आर्थिक सहायकता राशि वितरित की जा चुकी है ।
योजना के अर्न्तगत चिन्हित बीमारियां –

1. रीड की हड्डी का आपरेशन
2. वक्ष शल्य किया
3. हछ्‌य शल्य किया
4. कुल्ले का बदला जाना
5. ब्रेन सर्जरी
6. एम.डी.आर.
7. सिर की चोट जिसमें आपरेशन जरूरी हो
8. गुर्दा प्रत्यारोपन
9. घुटने का बदला जाना
10. रेन्टिनल डिटेचमेंट
11. न्योरो सर्जरी
12. सभी केन्सर सर्जरी
13. पसव उपरांत जटिलबाओं के इलाज हेतु